बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,सागर

पशु आहार संयंत्र सिरौंजा जिला सागर (म.प्र.)

सुदाना पशु आहार परिवहन ई–निविदा (अल्पकालीन)

(इकाई–बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर, म.प्र.)

सिरौंजा सागर दूरभाष क्र0 9179098046

E- Mail : cfpsagar@gmail.com

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.)

इकाई पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर (म.प्र.) पिन नं. 470001

PHONE NO : **9179098046**

E- mail : cfpsagar@gmail.com

::सुदाना पशु आहार परिवहन ई–निविदा (अल्पकालीन)::

क्रमांक / 1666 / प.आ.सं / सिरौंजा / 2022–23 सागर, दिनांकः– 21 / 05 / 2022

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.) की इकाई पशु आहार संयंत्र, सिरौंजा जिला सागर (म.प्र.) में एक वर्ष की अवधि के लिये महाराष्ट्र राज्य में सुदाना पशु आहार परिवहन हेतु ई– निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक निविदाकर्ता राशि रू 500 / – (पॉच सौ रूपये मात्र) का ऑनलाईन भुगतान कर ई–टेण्डरिंग वेबसाइट **http://www.mptenders.gov.in** पर दिनांक 21 / 05 / 2022 शाम 05:30 बजे से दिनांक 27 / 05 / 2022 दोपहर 01:00 बजे तक निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय कर सकते हैं। निविदा अपलोड करने का अंतिम समय दिनांक 27 / 05 / 2022 दोपहर 02:00 बजे तक है। निविदा संबंधी शर्तें एवं विस्तृत विवरण संघ की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर पठन हेतु उपलब्ध है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
डेयरी प्लांट, सागर (म.प्र.)
पिन नं.– 470001

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.)

पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर (म.प्र.)

–: निविदा प्रपत्र संबंधी जानकारी :–

सुदाना परिवहन

क्र0	विवरण	समय एवं दिनांक
1	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की तिथि एवं समय	21/05/2022 दोपहर 05:30 बजे से
2	निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की अंतिम तिथि एवं समय	27/05/2022 दोपहर 01:00 बजे तक
3	निविदा ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	27/05/2022 दोपहर 02:00 बजे तक
4	तकनीकी निविदा समिति के समक्ष खोलने की तिथि एवं समय	28/05/2022 दोपहर 02:00 बजे

निविदा खोलने का स्थान :– पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, सागर (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र की कीमत :– रूपये 500/– (रूपये पॉच सौ मात्र।) क्रेडिटकार्ड/डेबिटकार्ड/नेट वैंकिग द्वारा क्रय किये जावे जो वापसी योग्य नहीं।

अमानत राशि :– रूपये 10,000/–**(रूपये दस हजार मात्र।)** ई.एम.डी. राशि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

प्रतिभूति राशि :– रूपये 1,00,000/–(रूपये एक लाख मात्र) अनुबंध के समय **CATTLE FEED FACTORY SIRONJA SAGAR** के खाते जमा करना अनिवार्य है, एवं सुरक्षा निधि के रूप में रू. दो लाख मात्र का चैक **CATTLE FEED FACTORY SIRONJA SAGAR** के पक्ष में देय होगा।

नोट :– शर्त क्र0 11 के अनुसार मांगे गये दस्तावेज अनुबंध के समय परिवहनकर्ता को संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् ही अनुबंध निष्पादित किया जायेगा।

प्रभारी महाप्रबंधक

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.)

<u>पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर (म.प्र.)</u>

<u>–: पशु आहार परिवहन की शर्ते :–</u>

1. पशु आहार, सुदाना परिवहन निविदा की दरें ई–निविदा के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार होंगी।

2. निविदा प्रपत्र में वांछित जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जावे। पशु आहार संयंत्र सिरौंजा सागर से विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु परिवहन की दरें अंकों के साथ–साथ शब्दों में भी प्रस्तुत की जावें।

3. विभिन्न गन्तव्य स्थानों हेतु दी जाने वाली निविदा दरें ''रूपये प्रति मै.टन''(One Way दरें) प्रपत्र में दर्शाये गये स्थानों के लिए देय होगी।

4. **<u>परिवहनकर्ता द्वारा पशु आहार की मांग अनुसार 10 में.टन एवं 15 में.टन क्षमता के लोडिंग ट्रक ही उपलब्ध कराना होगा।</u>**

5. परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् प्रभारी महाप्रबंधक, पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, सागर के निर्देशानुसार अपना कार्य प्रारंभ करना होगा। **<u>साधारणतः संयंत्र से ट्रक में पशु आहार भरने का समय कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहता हैं, इसके पश्चात् ट्रक अगले दिन ही भरे जावेगें।</u>**

6. यदि विशेष परिस्थितियों में पशु आहार शीत केन्द्रों/संयंत्रों पर तत्काल् भेजा जाना है, तो उपरोक्त दर्शित समय के उपरान्त प्रबंधन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही वाहन लोड किया जा सकेगा। किसी भी दुग्ध शीत केन्द्र/दुग्ध समितियों पर अवकाश के दिन या समय अवधि के पश्चात् (शाम 05 बजे के बाद) पशु आहार प्रदाय करने के लिये परिवहनकर्ता का चयन करने का सर्वाधिकार प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र सिरौंजा सागर के पास सुरक्षित रहेगा एवं लिया गया निर्णय मान्य होगा।

7. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् परिवहनकर्ता को या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को अगले दिन के लिये परिवहन कार्य आदेश प्रातः 11 बजे तक अनिवार्य रुप से प्राप्त करना होगा, निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिदिन जो वाहन भेजा जायेगा उसके साथ वह स्वयं या उसके प्रतिनिधि वाहन के साथ आयेंगे। ट्रांसपोर्ट की स्लिप (विल्टी) जिस पर गंतव्य स्थान गाड़ी का नम्बर एवं मात्रा अंकित कर सुरक्षा शाखा में जाकर मेन गेट पर प्रविष्टि करने के उपरान्त ही वे ट्रक लेकर भरने के लिये आयेंगे। उनका प्रतिनिधि विक्रय विभाग में स्लिप लेकर एवं स्लिप पर अंकित मात्रा में ही पशु आहार की बोरी लोड करायेंगे एवं परिवहन ठेकेदार या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि ट्रक लोड होने के उपरान्त कार्यालय के विक्रय शाखा में आकर गेट पास एवं चालान प्राप्ति के बाद सुरक्षा शाखा में गेट पास देकर व हस्ताक्षर कर भरा हुआ वाहन संयंत्र परिसर से बाहर ले जावेंगे। किसी भी स्थिति में भरा हुआ वाहन लोड होने के पश्चात् खड़ा नहीं किया जावेगा। यदि गाड़ी में अधिक या कम लोड करते पाये जाते है, तो उसकी जबाबदारी परिवहनकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की होगी एवं आर्थिक दण्ड तथा परिवहन ठेका समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी। परिवहनकर्ता का कोई भी ट्रक ड्रायवर एवं क्लीनर संयंत्र के गोदाम के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा।

8. यदि परिवहनकर्ता स्वयं अथवा उनका प्रतिनिधि प्रातः 11 बजे तक लिखित में कार्य निर्देश प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं होते है, तो ऐसी परिस्थिति में परिवहनकर्ता पर **रु0 1000/– (रु0 एक हजार मात्र।)** का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा।

9. संयंत्र से वाहन भराने के पश्चात् तुरन्त दुग्ध शीत केन्द/दुग्ध समितियों में रवाना करना होगा। जिसका समय गेट पर प्रविष्टि के दौरान दर्ज होता है। उक्त वाहन को दुग्ध संस्था तक पहुँचने हेतु उतना समय दिया जायेगा जितना समय दुग्ध संकलन वाहनों को दुग्ध संस्था तक पहुचने में लगता है। देरी की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

10. अगर परिवहनकर्ता के वाहन में किसी कारणवश खराबी आ जाती है, उसकी सूचना तत्काल कार्यालय के विपणन शाखा के कर्मचारियों/अधिकारियों को देना होगा। परिवहनकर्ता के वाहन में खराबी का कारण वाहन का स्थान जहॉ वो खड़ा है, एवं कितने समय में वाहन दुग्ध संस्था तक पहुॅच जावेगा, इसकी जानकारी कार्यालय में देना होगी।

11. परिवहनकर्ता के वाहन का आर0टी0ओ0 से सम्बंधित पंजीयन, बीमा, फिटनेस परमिट आदि लोडिंग दिनांक तक वैध होना आवश्यक है, **एवं निविदाकर्ता के पास स्वयं का या फर्म का एक वाहन (ट्रक) होना आवश्यक है, एवं पशु आहार की मांग अनुसार 10 मे.टन एवं 15 मे.टन के ही लोडिंग ट्रक उपलब्ध करना होगा।**

12. परिवहनकर्ता द्वारा जिस वाहन से माल परिवहन किया जा रहा है, उसके अन्दर का हिस्सा (डाला एवं बाडी) अच्छी हालत में होना चाहिये, पशु आहार ट्रक में भरते समय बोरी फटने कटने की दशा में परिवहनकर्ता को नुकसान का वहन करना होगा।

13. पशु आहार संयंत्र ट्रक लोडिंग की दरें ठेकाश्रमिक व्यवस्था में लोडिंग की स्वीकृत दरों पर की जायेगी। जिसका भुगतान ट्रॉसपोर्टर को करना होगा। इसके पश्चात् दुग्ध शीत केन्द्रों पर ट्रक अनलोडिंग की व्यवस्था ट्रॉसपोर्टर द्वारा की जायेगी, एवं दुग्ध शीत केन्द्र पर हम्मालों को देय राशि का भुगतान एवं हम्मालों की व्यवस्था ट्रॉसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी। दुग्ध शीत केन्द्र के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हम्मालों की व्यवस्था नहीं की जायेगी, एवं अनलोडिंग की दरें भी निश्चित नहीं की जा सकेगी।

14. कार्य निर्देश प्राप्त होने के 24 घण्टे के अंदर पशु आहार परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध करा कर लोडिंग पश्चात् वाहन रवाना करना होगा। कुछ दुग्ध संस्थाओं से पशु आहार की मांग प्राप्त होने के उपरान्त उसी दिन पशु आहार भेजा जाना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में उसी दिन वाहन उपलब्ध कराना जरूरी है। **ट्रक उपलब्ध न कराने पर रूपये 1000/–(रूपये एक हजार मात्र) का अर्थदण्ड प्रतिदिन किया जावेगा।** निर्धारित समयावधि में कार्य सम्पादित न किये जाने की दशा में संघ/संयंत्र द्वारा वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था की जा सकती है, तथा इस व्यवस्था में अतिशेष भुगतान की राशि ठेकेदार के देयक से वसूली की जावेगी।

15. अनुबंध अवधि में यदि डीजल की दरों में कमी या वृद्धि होती है, तो दर वृद्धि या कमी की गणना प्रति 9 मै.टन भार के अनुसार की जावेगी। दरों में कमी/वृद्धि की गणना डीजल की विक्रय दर में न्यूनतम 1 रु0/लीटर का अंतर आने पर ही की जावेगी।

क्रमांक	वाहन का प्रकार	औसत प्रति लीटर
01	**ट्रक,**	**04 कि.मी**

इस प्रकार औसत प्रति कि.मी. पर डीजल पर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दर में वृद्धि/कमी दिनांक से प्रति कि.मी. कमी/वृद्धि की जावेगी। डीजल के

अतिरिक्त स्पेयर पार्टस, आईल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी। निविदा से सम्बंधित किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता निविदकार को हो तो वह प्रभारी महाप्रबंधक पशु आहार संयंत्र से प्राप्त कर सकता है। निविदा में भाग लेने का अर्थ है कि निविदाकार द्वारा निविदा की समस्त शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है। निविदा में दरें स्वीकृत होने पर कार्य आदेश प्राप्ति पर यदि परिवहन कार्य नहीं किया जाता है तो निविदाकार की **EMD** राशि राजसात कर ली जायेगी एवं भविष्य में होने वाली समस्त निविदाओं से काली सूची में डाल दिया जायेगा।

16. निविदा में दर्शाई गई सभी स्थानों के दुग्ध शीत केन्द्रों में 10 मे.टन से 15 मे.टन पशु आहार की मात्रा परिवहन की जाती है। डिमाण्ड की मात्रा घटती या बढ़ती रहती है, इस स्थिति में किसी भी चिलिंग सेंटर के लिए पशु आहार की मांग निर्धारित नहीं की जा सकती। अतः परिवहनकर्ता को डिमाण्ड के अनुसार ही वाहन उपलब्ध कराना होगा, एवं आवश्यकतानुसार एक स्थान से लेकर चार स्थानों पर वाहन खाली करवाया जा सकता है, जिसके लिए परिवहनकर्ता बाध्य् रहेगा।

17. अनुबंध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होगी, तदापि परिवहनकर्ता का परिवहन कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मुख्यकार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.) द्वारा उन्हीं दरों एवं शर्तो पर एक वर्ष तक अनुबंध अवधि में अतिरिक्त वृद्धि की जा सकेगी।

18. उभय पक्षों द्वारा दो माह की पूर्व सूचना के उपरांत यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

19. पशु आहार संयंत्र से दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों के गोडाउन तक पशु आहार लोडिंग एवं अनलोडिंग की जबावदारी परिवहनकर्ता की होगी। इस हेतु संघ/दुग्ध समिति/प्रभारी दुग्धशीत केन्द्र द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जावेगा, और हम्मालों की व्यवस्था भी ट्रॉसपोर्टर को करनी होगी।

20. वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी परिवहनकर्ता की होगी। इस कारण संयंत्र को हुई हानि की राशि परिवहनकर्ता के देयक से वसूल की जायेगी।

21. निविदाकार या उसके द्वारा लगाये गये वाहन पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों का व्यवहार संयंत्र के अधिकारियों/कर्मचारियों/दुग्ध समिति कर्मचारियों एवं सुरक्षा अधिकारियों के साथ सौहाद्रपूर्ण होना चाहिए।

22. किसी भी प्रकरण में सेवा प्रदायक (परिवहनकर्ता) एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ, भोपाल (म.प्र.) को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा।

23. निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

24. परिवहनकर्ता द्वारा इस ठेके के किन्हीं निबंधनों एवं शर्तों का पालन न किए जाने अथवा इनका उल्लंघन किये जाने या उनके द्वारा बीच में ही ठेका समाप्त कर देने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी। ऐसी स्थिति में परिवहन ठेका अन्य निकटतम भावदाताओं को देने के फलस्वरूप शेष ठेका अवधि

में होने वाली आर्थिक क्षति की राशि परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि एवं लंबित देयकों से वसूल की जावेगी।

25. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में रूपये **10,000/– (रूपये दस हजार मात्र।)** **CATTLE FEED FACTORY SIRONJA SAGAR** को देय ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पशु आहार संयंत्र के खाते में जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से अर्नेस्ट मनी जमा करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

26. निविदा अस्वीकृत होने पर अर्नेस्ट मनी की वापसी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने की स्थिति में 30 दिनों पश्चात् ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से वापस की जा सकेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

27. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को संलग्न शर्तों के तहत अनुबंध निष्पादित करना होगा, जिसमें प्रतिभूति राशि रूपये **1,00,000/– CATTLE FEED FACTORY SIRONJA, SAGAR** के खाते में जमा कराना अनिवार्य होगा, एवं सुरक्षा निधि के रूप में राशि रू. 2,00,000 (दो लाख रू. मात्र) का चैक **CATTLE FEED FACTORY SIRONJA, SAGAR** के पक्ष में देय होगा। निर्धारित समयावधि में सुरक्षा निधि जमा न करने पर निविदा निरस्त की जायेगी एवं **EMD** राशि राजसात कर ली जायेगी।

28. निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने से यह समझा जावेगा कि निविदा प्रस्तुत करने के लिये दी गई विभिन्न जानकारियों तथा अनुबंध की शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है, तथा वे इससे सहमत हैं। निविदाकार द्वारा यदि निविदा में अन्य कोई शर्ते लगाई जाती है, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर को एक अथवा समस्त निविदायें अमान्य करने का अधिकार रहेगा।

29. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में उस पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये। किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से उस व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिये, जिसके पास हस्ताक्षर करने हेतु अधिकार पत्र है।

30. ठेका समाप्त होने पर ठेकेदार को प्रतिभूति राशि की वापसी हेतु लिखित रूप से आवेदन के साथ जमा रसीद की मूलप्रति प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ठेकेदार की संयंत्र कार्यालय में जमा प्रतिभूति राशि वापस की जा सकेगी। इस राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

31. परिवहन के दौरान मार्ग में सुदाना, सुदाना सुपर में किसी भी प्रकार की टूट–फूट, नुकसान, कमी अथवा वर्षा आदि के फलस्वरूप हुई क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी माना जावेगा तथा क्षतिपूर्ति की राशि उनके परिवहन देयक से वसूल की जावेगी।

32. ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान संयंत्र द्वारा नहीं किया जावेगा।

33. दुग्ध शीत केन्द्रों/दुग्ध समितियों सहित अन्य शासकीय संस्थाओं पर सुदाना पशु आहार पहुचाने के पश्चात् उसकी हस्ताक्षरित एवं सील लगी हुई पावती सुदाना परिवहन देयक के साथ प्रस्तुत करने पर ही परिवहन देयकों का भुगतान किया जावेगा। निर्धारित स्थान पर प्राप्ति में कमी पाये जाने पर पशु आहार पर लोडिंग परिवहनकर्ता के देयकों से अधिकतम खुदरा मूल्य के आधार पर कटौत्रा किया जावेगा।

34. परिवहनकर्ता के देयकों से शासन के नियमानुसार आयकर, सर्विस एवं स्वच्छता कर तथा समय–समय पर लगने वाले अन्य करों आदि का कटौत्रा किया जावेगा।

35. संयंत्र में भराने के लिये आए हुए दुग्ध संस्था के टैक्टर–ट्राली को ट्रक एवं मेटाडोर से पहले प्राथमिकता के आधार पर भराया जाएगा।

36. सुदाना भरने के लिये आने वाले वाहनों का खाली एवं भरे का वजन संयंत्र के तौल कांटे पर किया जाता है। अपरिहार्य कारणों से संयंत्र के तौल कांटे पर वजन न हो पाने की स्थिति में परिवहनकर्ता को स्वयं के व्यय पर खाली एवं भरे ट्रक का वजन अन्य धर्मकांटे पर कराना होगा वजन संयंत्र के सुरक्षाकर्मी/कर्मचारी के समक्ष कराना होगा परिवहनकर्ता द्वारा खाली एवं भरे ट्रक की तौल कांटा पर्ची प्रस्तुत करने के पश्चात् ही विपणन शाखा द्वारा गेट पास जारी किया जायेगा। उक्त कार्यवाही में बिलम्ब के लिये परिवहनकर्ता/ट्रक ड्रायवर स्वयं जवाबदार रहेंगें।

37. उपरोक्त वर्णित शर्तो का पालन नहीं किया जाता है, तो 2 बार परिवहनकर्ता ठेकेदार को पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा, उसके उपरान्त भी उपरोक्त नियमों/शर्तो का पालन नहीं करने की स्थिति में उनका परिवहन ठेका समाप्त कर राशि राजसात की जाकर परिवहनकर्ता को काली सूची में सूचीवद्ध किया जावेगा।

38. पशु आहार चालान पर अंकित निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर प्रदाय करते हुए पाये जाने पर परिवहनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर अमानत राशि राजसात करते हुये अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा, जिस हेतु परिवहनकर्ता जबावदार होगा।

39. समस्त अदालती विवाद सागर न्यायालय के क्षेत्रााधिकार में होंगे ।

40. परिवहनकर्ता द्वारा **GST** रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

41. <u>अवकाश के दिनों में या अपरिहार्य कारणों से दुग्ध समितियों पर पशु आहार अनलोडिंग में देरी होती है, तो दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता को किसी भी प्रकार का हल्टिंग चार्ज नहीं दिया जायेगा।</u>

42. यदि लगातार तीन बार परिवहन कार्य सुपुर्दगी आदेश की प्राप्ति के बाद परिवहन हेतु उपयुक्त वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है, तो उसका ठेका समाप्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.) को रहेगा और यह ठेका किसी अन्य ठेकेदार को दिया जा सकेगा एवं ठेकेदार द्वारा जमा की गई, अमानत राशि एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

43. यदि निविदाकर्ता द्वारा दरें स्वीकृत करने के पश्चात् परिवहन कार्य नहीं किया जाता है, तो उक्त निविदाकर्ता की अमानत राशि, सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी एवं उक्त निविदाकर्ता को ब्लैक लिस्ट कर पशु आहार संयंत्र की भविष्य में होने वाली समस्त परिवहन निविदा में प्रतिबंध लगाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

44. परिवहनकर्ता के उक्त वाहन स्वयं के रजिस्टर होने चाहिए या अनुबंधित होना चाहिए अनुबंध की स्थिति में अनुबंधित वाहन की पार्टनर शिप होना अनिवार्य है एवं इसकी स्वच्छ प्रतिलिपि तकनीकि निविदा के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

45. <u>परिवहनकर्ता के समस्त दस्तावेज की स्वच्छ प्रतिलिपियॉ तकनीकि निविदा के समय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं समिति यदि चाहे तो उक्त प्रतिलिपियों के मिलान हेतु ओरिजनल डाक्यूमेंट भी मंगा सकती है।</u>

46. दुग्ध शीत केन्द्रों/संयंत्रों से सुदाना की मांग निश्चित मात्रा में प्राप्त नहीं होती है, इस कारण किसी माह विशेष में परिवहन किये जाने योग्य पशु आहार की मात्रा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है, एवं मांग के अनुसार परिवहन योग्य सुदाना, एवं सुदाना सुपर की मात्रा कम ज्यादा हो सकती हैं।

47. परिवहनकर्ता द्वारा पशु आहार पहुँचाने के दौरान किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति होती है तो क्षतिपूर्ति हेतु परिवहनकर्ता के देयक बिलों से पशु आहार की राशि (पशु आहार एक्स फैक्ट्ररी) दर से परिवहनकर्ता के देयकों से काटी जायेगी। यदि कटौत्रा राशि देयकों की राशि से अधिक है, तो कटौत्रा की राशि परिवहनकर्ता द्वारा जमा किये गये सुरक्षा निधि के चैक से वसूल की जायेगी। जो परिवहनकर्ता को मान्य होगी।

48. यदि एक ही रूट पर दो या अधिक दुग्ध शीत केन्द्र है, तो मॉग अनुसार एक ट्रक पशु आहार परिवहन हेतु परिवहनकर्ता को वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जो कि आवश्यकतानुसार दुग्ध शीत केन्द्रों पर मॉग अनुरूप पशु आहार उपलब्ध करायेगा।

49. परिवहनकर्ता 1 से 15 तारीख तक के देयक 25 तारीख व 16 से 30/31 तारीख तक के देयक 10 तारीख तक पशु आहार संयंत्र सिरौंजा सागर कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करेंगे। जिसका भुगतान कार्यालयीन औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् प्रति माह कार्यालयीन दिवस में शासन के आदेशानुसार समस्त करो का कटौत्रा कर किया जावेगा। यदि परिवहनकर्ता द्वारा बिल बिलम्ब से प्रस्तुत किये जाते है, तो बिलों के भुगतान में देरी के लिए स्वयं जिम्मेदार होगे। ट्रांसपोर्ट बिल हेतु बिल के साथ डीजल की वास्तविक दरें प्रस्तुत करने पर ही बिलों को भुगतान हेतु प्रक्रिया में लाया जायेगा।

50. सभी सेन्टरों हेतु दरें प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि किसी भी एक सेन्टर पर दरें प्रस्तुत नहीं की जाने पर आपकी निविदा स्वयं निरस्त मानी जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
बुन्देलखण्ड सह. दुग्ध संघ मर्या. सागर

महाराष्ट्र राज्य के दुग्ध शीत केन्द्र एवं दुग्ध संस्था

क्र0	दुग्ध शीत केन्द्र / दुग्ध संस्था	पशु आहार संयंत्र, सागर से अनुमानित दूरी (कि0मी0)	**दरे प्रति मै.टन** ऑनलाईन प्रस्तुत करें
1	बूटीबोरी (नागपुर), महाराष्ट्र	422	
2	अमरावती, महाराष्ट्र	482	
3	परतबाडा (अमरावती), महाराष्ट्र	410	
4	अकोला, महाराष्ट्र	507	
5	वर्धा, महाराष्ट्र	470	
6	रामटेक (नागपुर), महाराष्ट्र	352	
7	धानौली (अमरावती), महाराष्ट्र	460	
8	चंद्रपुर, महाराष्ट्र	546	
9	खामगांव (बुलढाना), महाराष्ट्र	536	
10	मलकापुर, (बुलढाना), महाराष्ट्र	558	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर (म.प्र.)

पशु आहार संयंत्र सिरौंजा, जिला सागर (म.प्र.)

मैनें/हमने/ निविदा (टेण्डर) की समस्त शर्तों (क्रमांक 1 से 50 तक) को अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ लिया है, एवं इकरार नामें की पूर्ण शर्ते मान्य हैं। उपरोक्त भाव पर हम/मैं ठेका लेने को तैयार हूॅं। ये भाव पशु आहार संयंत्र सिरौंजा (सागर) से उपरोक्त दर्शायें गये स्थानों तक के लिये प्रति मैट्रिक टन के आधार पर दिये गये हैं।

हस्ताक्षर ————————————————————————————

नाम ——————————————————————————————

पता————————————————————————————————